न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 56/2016

श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री रामरतन जी जाति जाट निवासी देलवाडा तहसील–ब्यावर जिला– अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शंकरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 28.06.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देलवाडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 8/2 रकबा 0–2–00 किस्म बारानी–2 एवं खसरा नं0 64 किस्म गैर मु0 दांती में से रकबा 02–00–00 बीघा पर काश्त कर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर उनके पूर्वज दीर्घकालीन समय से काबिज काश्त चले आ रहें है। पूर्व में भूमिधारी तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 15.5.2006 को प्रश्नगत भूमि का अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम नियमन करने की सिफारिश की गई थी। किन्तु नियमन कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा नहीं किये जाने से प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी व उनके पूर्वज के नाम नियमन नहीं हो सकी। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किये व रेकार्ड से मिलान किये बिना आवेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 03.11.2016 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि ग्राम देलवाडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 8/2 रकबा 0–2–00 किस्म बारानी–2 एवं खसरा नं0 64 किस्म गैर मु0 दांती में से रकबा 02–00–00 बीघा पर अपीलार्थी के पूर्वज राजस्थान में काश्तकारी कानून लागू होने के पूर्व से काबिज काश्त थे तथा बारिश होने पर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलार्थी के पूर्वज अज्ञानता की वजह से केवल स्थाई काश्त की भूमि से आक्यूपेन्सी,

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

हेरीडेट्री व ऐक्स प्रोप्राईट्री टीनेन्ट के ही अधिकारों का अभिलेख बनाया। बारानी भूमि जिसे रैन फैड एरिया कहा जाता था। इसलिए लगान के डर से अपीलार्थी के पूर्वजो द्वारा भूमि अपने नाम अंकित नही करवाई गई। अजमेर रियासत में राजस्व कानून एवं पद्धति अन्य जिलो की अपेक्षा भिन्न थी। शामलात देह कानून समाप्त होने पर जो भूमि किसानों के व्यक्तिगत कब्जे में थी वह उनको दिये जाने के प्रावधान बने। अजमेर रियासत में रिकार्ड सन् 1941–42 व 1951–52 में बना जो भूमि खेवट की या स्थाई काश्त की थी। रेनफेड एरिया जिसमें अनाज पैदा न होकर चारा भूसा पैदा होता था उसका कोई बाटा नहीं था और ना ही कोई लगान कायम था। अतः वह जमीन काश्तकार के खाते में 1951–52 में अंकित नहीं हुई। कानूनी स्थिति बदल जाने के बावजूद अपीलार्थी के पूर्वजो द्वारा मौके पर काश्त होते हुए भी प्रश्नगत भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज नहीं करवाया। अजमेर मेरवाडा क्षैत्र जहॉ प्रश्नगत भूमि स्थित है केन्द्र शासित क्षेत्र था में अजमेर एबोलेशन ऑफ अन्टरमिडएटरी एण्ड लेण्ड रिफामर्स एक्ट 1955 जिसके द्वारा इश्तमरारदारों माफीदारी एवं जागीरदारी को समाप्त किया जाकर भूमि को जोतने वालो को अधिकार प्रदान किये गये। इसके तत्काल बाद अजमेर राज्य, राजस्थान में विलीन हो गया और अजमेर एक्सटेंशन ऑफ लॉज एक्ट 1957 दिनांक 15.06.1958 को प्रभावी हुआ जिसमे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी शामिल था, अजमेर क्षैत्र पर लागू हो गया। इसके पश्चात राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूल अधिनियम 1956 लागू हुआ परन्तु प्रश्नगत भूमि को जोतने वाले काश्तकार अर्थात अपीलार्थी व उनके पूर्वज को जो अधिकार उपरोक्त अधिनियमों के माध्यमों से प्राप्त हुए उनका राजस्व अभिलेख में नियमन, भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका, जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी व उनके पूर्वज दीर्घकालीन समय से ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त थे। बहस जारी रखते हुए वकील अपीलान्ट ने आगे कहा कि सम्वत् 2016 के पश्चात अब तक अजमेर क्षेत्र की चौसाला जमाबन्दियॉ नहीं बनी है, इसलिए काश्तकारों के विरासत, बेचान, बॅटवारा, या नियमन ऑवटन से कब्जे,नक्शें में तरमीम होकर रिकार्ड पर नहीं आये है। तत्कालीन अजमेर डिवीजन के आयुक्त द्वारा भी राजस्व सचिव को इस बाबत एक तथ्यात्मक टिप्पणी दिनांक 12.6.1957 को प्रेषित की तथा भूतर्पूव अजमेर राज्य के कमिश्नर को भी पुनः सर्वेक्षण व भू–अभिलेख किये जाने के बारे में लिखते हुए इश्तमरारदारी जागीर को होल्डिंग्स उसके काश्त होने योग्य व अन्य भूमि के विवरण भी दिये गये परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व सचिव ने पत्र दिनांक 24.6.1965 द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त को धारा 164 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत भू–अभिलेख तैयार करने एवं विरासतन हस्तान्तरण के नामान्तरकरण की तस्दीक करने और जोतने वालों के कब्जे को नियमन करने के आदेश दिये। राज्य सरकार ने अध्यक्ष राजस्व मण्डल, भू–प्रबन्ध आयुक्त व राजस्व की एक कमेटी बनायी जिसने राज्य सरकार को अजमेर जिले में स्पेशल प्रोग्राम अपनाकर सर्वे व रिकार्ड ऑपरेशन चालू किये जाने की सिफारिश की। जिसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने अजमेर जिले में भू–सर्वेक्षण का कार्य किये जाने का निर्णय लिया और दिनांक 13.07.1970 को धारा 106 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अजमेर जिले में भू–सर्वेक्षण का कार्य किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की और आवश्यक स्टाफ भी स्वीकृत किया जाकर उन्हे आवश्यकता अनुसार कानूनी अधिकार भी दिये गये। अजमेर जिले में सन् 1971–72 में राज्य सरकार के आदेशानुसार भू सर्वेक्षण व भू अभिलेख का कार्य आरम्भ किया। अजमेर शहर को छोडकर 976 गॉवों का भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख आदेशनुसार तैयार करने की कार्यवाही की गई, जिसके तहत तैयार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रश्नगत भूमि पर दीर्घकालिक कब्जे के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी को रिकार्डेड

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

काश्तकार दर्ज किया गया। 1978–79 में भू–लगान बढाने बाबत आपत्ति होने पर राज्य सरकार ने अध्याय 8, धारा 142 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत सम्पूर्ण बन्दोबस्त करने के आदेश देते हुए 1971–72 के भू–सर्वेक्षण व भू–अभिलेख को मान्यता नहीं दी। प्रश्नगत भूमि पर उनके पूर्वज दीर्घकालीन समय से काबिज काश्त चले आ रहें है। पूर्व में भूमिधारी तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 15.5.2006 को प्रश्नगत भूमि का अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम नियमन करने की सिफारिश की गई थी। किन्तु नियमन कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा नहीं किये जाने से प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी व उनके पूर्वज के नाम नियमन नहीं हो सकी। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किये व रेकार्ड से मिलान किये बिना आवेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं अन्य सामग्री जब्त सरकार कर निलाम किये जाने के साथ ही जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मनमाने तरीके से एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय, नियम, कानून, के विपरीत विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2016 निरस्त कर मूल प्रकरण संख्या 31406 खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों के सर्मथन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित निर्णय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख, प्रकट नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने के कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.06..2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/06/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर